(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12 th standard pass from a recognised Board or University. (ii) Skill test norms;-Dictation: 10 minutes at the speed of 80 words per minute in Stenography (English or Hindi) Transcription(on computer): 50 Minutes (English), 65 Minutes (Hindi).	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through the Staff Selection Commission. Note Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits in column (7).

11	12	13
Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director of Airworthiness – Chairman; 2. Assistant Director of Airworthiness or Assistant Director of Air Safety – Member; 3. Deputy Director of Administration – Member.	Not applicable.

[F. No.A-12018/03/2013-R.Cell]

SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director of Administration

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 291.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विद्युत मंत्रालय, बहु कार्य कर्मचारी वृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 में,
- (i) नियम 2 में, शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान", जहाँ भी वे विद्यमान हों, उसके स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) अनुसूची में, स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

'वेतन मैट्रिक्स में स्तर'	
(4)	
स्तर 1 (18000-56900/- रुपये)	

[फा.सं. 9/3/2016-प्रशा.II] सतिन्दर कौर, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.74, तारीख 29 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 11th September, 2017

G.S.R.291.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Power, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012, namely:-

- 1. **Short title and commencement.** (I) These rules may be called the Ministry of Power, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Power, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012,-
- (i) in rule 2, for the words "pay band and grade pay / pay scale" and "pay band and grade pay or pay scale", wherever they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
- (ii) In the Schedule, for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix	
(4)	
Level 1 (Rs. 18000-56900/-)"	

[F. No. 9/3/2016-Adm.II]

SATINDER KAUR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 74, dated the 29th March, 2012.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, सहायक इंजीनियर (लघु सिंचाई) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2012 का सं" गेधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, सहायक इंजीनियर (लघु सिंचाई) समूह 'क' पद, भर्ती (सं" गोधन) नियम, 2017 है।
 - 2) ये राजपत्र में उनके प्रका" ान की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. जल संसाधन मंत्रालय, सहायक इंजीनियर (लघु सिंचाई) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2012 में,-
 - (क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिश्ट हैं।"